



82GY7X

17

प्रदेश का शासन प्रबन्ध



रैली निकालते हुए लोग



भाषण देते हुए नेता

गाँव में अलग-अलग दलों के उम्मीदवारों के पोस्टर लगे हैं। विभिन्न दलों के लोग अपने नेता का प्रचार कर रहे हैं। गाँव की गलियों में, चौराहों पर भाषण हो रहे हैं। विभिन्न नुक्कड़ों पर भाषण हो रहे हैं। जनता को प्रत्याशी अपने-अपने चुनाव चिह्न बता रहे हैं।

मीना — अब किसका चुनाव होना है ? अभी तो पिछले साल ही गाँव के लोगों ने ग्राम प्रधान एवं सदस्यों को चुना है।

रमेश — अब विधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना है।

मीना — मेरा भी मन करता है कि मैं चुनाव लड़ूँ।

रमेश — नहीं, तुम चुनाव नहीं लड़ सकती। चुनाव में 25 साल या उससे अधिक आयु के लोग ही उम्मीदवार हो सकते हैं।

आज चुनाव का दिन है। स्कूल



चुनाव के विषय में बातचीत करते दो बच्चे

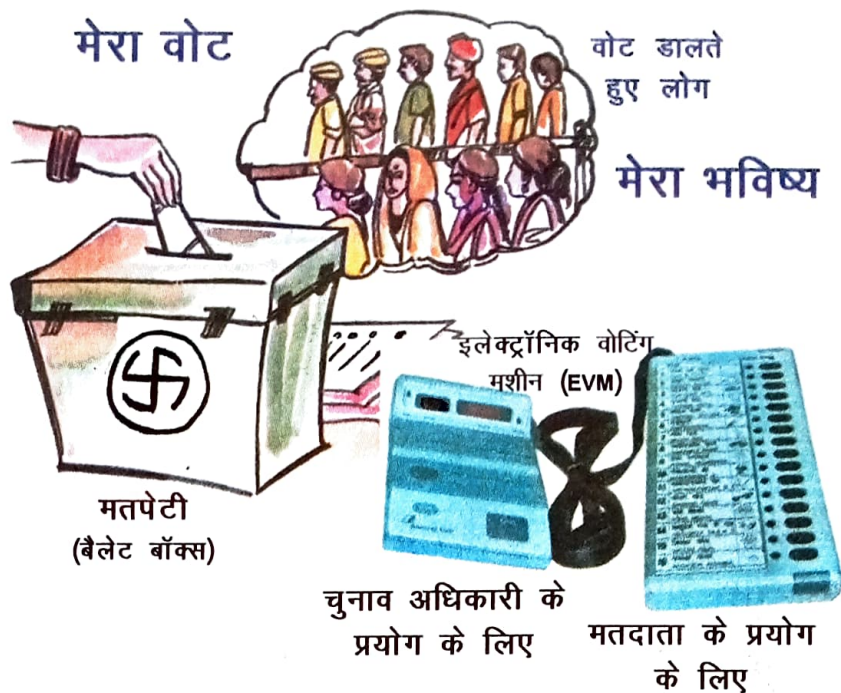
की छुट्टी है। यहाँ मतदान केन्द्र बनाया गया है।

18 साल और उससे अधिक आयु के लोग अपना वोट (मत) देने के लिए पंक्ति में अपना-अपना पहचान पत्र लिए हुए खड़े हैं। वे पाँच साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे।

कुछ दिन बाद चुनाव का परिणाम घोषित हो गया। विधानसभा के 403 स्थानों में से 223 स्थान एक ही दल के उम्मीदवारों को मिले हैं। शेष 180 स्थानों के लिए अन्य दलों के और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार चुने गए हैं।

जीते हुये सभी उम्मीदवारों को विधायक या एम0एल0ए0 कहते हैं। राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को विधानसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। विधान सभा के सदस्य अपने सदस्यों में से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

हमारे प्रदेश में विधान परिषद् भी है। विधान परिषद् का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। विधान परिषद् के सदस्यों का चुनाव कुछ विशेष लोगों द्वारा किया जाता है। विधान परिषद् के कुछ सदस्यों का चुनाव पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। कुछ का चुनाव शिक्षकों द्वारा किया जाता है। कुछ सदस्यों का चयन स्नातक परीक्षा पास लोग करते हैं। राज्यपाल, विधान परिषद् के लिए कुछ सदस्यों को उनकी योग्यता को देखते हुए मनोनीत भी करते हैं। इन सभी सदस्यों को विधायक या एम0एल0सी0 कहते हैं।



विधानसभा भवन

विधान परिषद् के सदस्य अपने सदस्यों में से सभापति का चुनाव करते हैं।

हमारे प्रदेश में विधान परिषद् में कुल सीटों की संख्या कितनी है ?

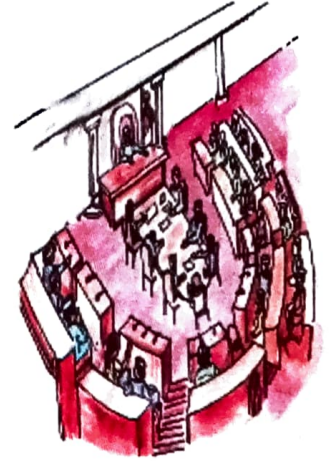
प्रदेश का विधानमण्डल राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद् से मिलकर बना है।

राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

राज्यपाल का निवासस्थल 'राजभवन' लखनऊ में है।

राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जाता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं।

विधानसभा एवं विधान परिषद् के सदस्य जनता की भलाई के लिए कानून बनाते हैं, सदन में मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। मंत्री उनको सन्तोषजनक उत्तर देते हुए आश्वासन देते हैं कि वे जनता की सुविधा और भलाई के लिए कार्य करेंगे।



यह हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यह प्रयागराज में स्थित है। इसकी एक खण्डपीठ लखनऊ में है। लोग यहाँ न्याय प्राप्त करने आते हैं। न्यायाधीश कानून के अनुसार न्याय करते हैं। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय भी होता है, जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है।

राज्य का शासन प्रबन्ध कैसे चलता है –

1. व्यवस्थापिका— कानून बनाना

राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद् किसी विषय पर कानून बनाते हैं।

2. कार्यपालिका— कानून को लागू करना।

राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं विभागों के मंत्री तथा अधिकारी बनाए गए कानून के अनुसार कार्य करते/कराते हैं।

3. न्यायपालिका— न्याय प्रदान करना।

यदि कोई कानून का पालन नहीं करता और कोई विवाद होता है तो न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है।



1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए—

- (क) विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य क्या कार्य करते हैं ?
- (ख) विधान सभा के सदस्यों को कौन चुनता है ?
- (ग) विधान सभा के लिए कितने विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं ?
- (घ) मत (वोट) कौन दे सकता है ?

2. रिक्त स्थान की पूर्ति करें —

- (क) विधान सभा के सदस्यों को कहते हैं।
- (ख) मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है।
- (ग) नियमों को पालन कराने का कार्य का है।

3. स्वयं पता करें—

- (क) हमारे प्रदेश की विधान सभा किस नगर में स्थित है ?
- (ख) हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय किस नगर में स्थित है ?
- (ग) राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ?



प्रोजेक्ट वर्क

- बाल संसद क्या होती है ? इसके पदाधिकारियों के कार्य लिखिए।